न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति डॉ साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
113/2025	2025/291	18.07.2025	15.12.2025

उनवान प्रकरण

1– अशोक पुत्र स्व० रामेश्वर
2– दौलत उर्फ दिलीप पुत्र स्व० रामेश्वर
3– कमली पत्नि स्व० रामेश्वर
समस्त जातियान जाट, निवासी भोनावास, हाल निवासी शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान वादीगण

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र स्व० रामकरण
2 कमली पत्नि स्व० रामकरण
3 कालू उर्फ पप्पू पुत्र जगदीश
4 महीपाल पुत्र जगदीश
5 विकम पुत्र जगदीश
6 मंजू पुत्री जगदीश
7 तीजा देवी पत्नि रूडाराम
8 पतासी देवी पत्नि स्व० हरी
9 महेन्द्र चौधरी पुत्र स्व० हरी
10 राजेन्द्र जाट पुत्र स्व० हरी
11 सरोज पुत्री स्व० हरी
12 सुवालाल पुत्र नाथूराम –
13 हरकोरी पत्नि स्व० नाथूराम –
समस्त जातियान जाट, निवासीयान भोनावास, हाल निवासी शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
14 बनवारीलाल पुत्र चौथमल, जाति अहीर, निवासी भोनावास, हाल निवासी शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
15 तेजपाल पुत्र सुवालाल, जाति कुम्हार, नि. आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर,
16 कलावती पत्नि अमरचन्द, जाति मीणा, निवासी बलेसर, नवरंगपुरा, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
17 बजरंगलाल पुत्र मातादीन, जाति खाती, निवासी शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड,
18 मुकेशी यादव पत्नि राजेन्द्र यादव, जाति अहीर, निवासी खेलना, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड,
19 शैतान पुत्र श्योजीराम, जाति गुर्जर, निवासी कोठाला
20 सुमन देवी पत्नि मुकेश कुमार, ज़ाति जांगिड, निवासी भांकरी, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड,
21 प्रबन्धक, दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा पावटा
22 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
23 श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री देवेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार स्वामी
प्रतिवादी सं. 01 लगायत 21 की एकपक्षीय कार्यवही

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

1 वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1874 / 1.35, 1899 / 0.52 हैक्टेयर वाके मौजा शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान में स्थित है। जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त आराजी के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 सहखातेदार काश्तकार काबिज है तथा मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

2. वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 का वादीगण के हिस्से की आराजी से कभी कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नही रहा है। वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है। आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड शामिल में होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 आये दिन डोल–डंडीर, कब्जा–काश्त, लगान आदि को लेकर वादीगण के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करनें, आराजी में तारबन्दी करने, निर्माण कार्य करने, बिना विधिवत तकास्मा कराये आराजी को दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी देते है तथा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 का वादीगण के हिस्से की आराजी से कोई लेना–देना ताल्लुक अथवा वास्ता नही है, ना ही कभी रहा है तथा बिना विधिवत बंटवारा कराये प्रत्येक खातेदार का भूमि की प्रत्येक इंच पर समान अधिकार होता है ।

3. वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 को कई मर्तबा कहा कि राज में चलकर आराजी का विधिवत तकास्मा करवा लो तथा अपना–अपना खाता जुदागाना करवा लो तथा वादीगण के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा ना करो, आराजी में पेड़ वगैरह ना काटो, आराजी में खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द मत करों, आराजी में तारबन्दी मत करो, आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य मत करो, आराजी को दीगर लोगों को बेचान मत करों। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 नही मान रहे हैं तथा गत सप्ताह से आराजी का विधिवत तकास्मा कराये बिना दीगर लोगों को बेचान करने, आराजी में तारबन्दी करने, निर्माण कार्य करने की धमकी दे रहे है तथा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। समझाने से नही मानते है, साफ इन्कारी है। इसलिए माननीय न्यायालय में दावा पेश करना लाजिम आया। यही बिनाय दावा है । यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 बिना विधिवत तकास्मा कराये उक्त आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करने, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करने, आराजी में तारबन्दी करने, आराजी में निर्माण कार्य करने, वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजहद नुकसान होगा जो किसी भी सूरत में जरें नकद से कम्पनसैट नही किया जा सकेगा। वादीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। वादीगण को अनावश्यक मुकदमेंबाजी में फंसना पड़ेगा जिससे वाद बहुलता को बढ़ावा मिलेगा ।

4 बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत रोज इन्कारी प्रतिवादीगण से पैदा होती है अतः वाद अन्दर मियाद पेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के तहत नियत न्यायशुल्क पर वाद पेश है। वाका जायदाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

6 यह कि वादीगण दावेदार है कि एक किता डिक्री तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर आराजी हाल खसरा नम्बर 1874 / 1.35, 1899 / 0.52 हैक्टेयर वाके मौजा शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत तकास्मा किया जाकर वादीगण को मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार आराजी का तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी कदर कागजात माल में अमल दरामद किया जावे। अलग से पासबुक जारी की जावे । तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबन्द किया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1874 / 1.35, 1899 / 0.52 हैक्टेयर वाके मौजा शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 ताकत के बल पर वादीगण के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत या दखलन्दाजी पैदा ना करें। वादीगण को उनके हिस्से की आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त करने देवें । आराजी में पेड़ वगैरह नही काटे, आराजी को विधिवत तकास्मा कराये बिना किन्हीं दीगर लोगों को रहन बैय बेचान या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल या ट्रांसफर ना करें । आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें, खुर्द–बुर्द ना करें, आराजी में खड्डे वगैरह ना खोदे, आराजी की किस्म में परिवर्तन ना करें, तारबन्दी ना करें, वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल ना करें, ना ही ऐसी कोई धमकी देवें । प्रतिवादी संख्या 22 तहसीलदार पावटा को पाबन्द किया जावे कि वे हाल राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली ना करें । प्रतिवादी संख्या 23 सब रजिस्ट्रार पावटा को पाबन्द किया जावे कि यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 उक्त आराजी से सम्बन्धी कोई विक्रय–पत्र या अन्य अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज पेश करें तो उसे तस्दीक ना करें। ना ऐसा प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना अपनें किसी नौकर चाकर, मुख्तयार, एजेन्ट, ठेकेदार आदि से करावें । सदा–सदा के लिए ममनू व बाज रहें । अन्य जो दादर्शी मान्य न्यायालय वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध उचित समझे प्रदान की जावे।

4 दावा काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 21 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 17.11.2025 को वादी वकील की एकपक्षीय बहस के उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 12.12.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवदेन किया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

5 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 1874 / 1.35, 1899 / 0.52 हैक्टेयर वाके मौजा शिवनगर, तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	कमली पत्नी रामकरण हि. 1/10 जाति जाट सा.देह खातेदार जितेन्द्र पुत्र रामकरण हि. 1/10 जाति जाट सा.देह खातेदार कलावती पत्नि अमरचन्द हि. 251/5200 जाति मीणा सा. बलेश्वर नवरंगपुरा तह. विराटनगर बजरंगलाल पुत्र मातादीन हि. 133/5200 जाति खाती सा.देह खातेदार बनवारी पुत्र चौथमल हि. 11/1300 जाति अहीर सा. भाभरू मुकेशी देवी W/O राजेन्द्र यादव हि. 1/40 जाति अहीर सा. खेलना खातेदार मंजू पुत्री जगदीश हि. 7/120 जाति जाट सा.देह खातेदार महीपाल पुत्र जगदीश हि. 7/120, विक्रम पुत्र जगदीश हि. 7/120 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार शैतान पुत्र श्योजीराम हि. 167/5200 जाति गुर्जर सुमन देवी पत्नि मुकेश कुमार हि. 7/325 जाति जांगिड सा. भांकरी सुवालाल पुत्र नाथूराम हि. 578/5200 जाति जाट हरकोरी पत्नी नाथूराम हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार हरि पुत्र नाथूराम हि. 159/1040 जाति जाट सा.देह खातेदार	1899 रकबा 0.52 हैक्ट0 भूमि।
2	अशोक पुत्र रामेश्वर हि. 2434/8667 जाति जाट सा. भोनावास खातेदार दौलत पुत्र रामेश्वर हि. 3117/8667 जाति जाट सा.देह खातेदार कमली पत्नी रामेश्वर हि. 3116/8667 जाति जाट सा.देह खाते.	1874/1 रकबा 0.8667 हैक्ट0 भूमि।
3	तेजपाल पुत्र सुवालाल हि. पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. आलीसार तह. चौमू खातेदार	1874/2/0.0683 हैक्ट0 भूमि।
4	बनवारी पुत्र चौथमल हि. 250/4150 जाति अहीर मंजू पुत्री जगदीश हि. 165/4150 जाति जाट महीपाल पुत्र जगदीश हि. 164/4150 जाति जाट विक्रम पुत्र जगदीश हि. 164/4150 जाति जाट कालू उर्फ पप्पू पुत्र जगदीश हि. 337/4150 जाति जाट पताशी देवी पत्नी हरी हि. 185/4150, सरोज पुत्री हरी हि. 185/4150, महेन्द्र चौधरी पुत्र हरी हि. 185/4150, राजेन्द्र जाट पुत्र हरी हि. 185/4150 समस्त जाति जाट खातेदार सुवालाल पुत्र नाथूराम हि. 580/4150, हरकोरी पत्नी नाथूराम हि. 1/5, कमली पत्नी रामकरण हि. 1/10, जितेन्द्र पुत्र रामकरण हि. 1/10, तीजा देवी पत्नी रूडाराम हि. 90/4150 समस्त जाति जाट खातेदार	1874/3/0.4150 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
113/2025	2025/291	18.07.2025	15.12.2025

उनवान प्रकरण

1– अशोक पुत्र स्व० रामेश्वर
2– दौलत उर्फ दिलीप पुत्र स्व० रामेश्वर
3– कमली पत्नि स्व० रामेश्वर
समस्त जातियान जाट, निवासी भोनावास, हाल निवासी शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र स्व० रामकरण
2 कमली पत्नि स्व० रामकरण
3 कालू उर्फ पप्पू पुत्र जगदीश
4 महीपाल पुत्र जगदीश
5 विकम पुत्र जगदीश
6 मंजू पुत्री जगदीश
7 तीजा देवी पत्नि रूडाराम
8 पतासी देवी पत्नि स्व० हरी
9 महेन्द्र चौधरी पुत्र स्व० हरी
10 राजेन्द्र जाट पुत्र स्व० हरी
11 सरोज पुत्री स्व० हरी
12 सुवालाल पुत्र नाथूराम –
13 हरकोरी पत्नि स्व० नाथूराम –
समस्त जातियान जाट, निवासीयान भोनावास, हाल निवासी शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
14 बनवारीलाल पुत्र चौथमल, जाति अहीर, निवासी भोनावास, हाल निवासी शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
15 तेजपाल पुत्र सुवालाल, जाति कुम्हार, नि. आलीसर, तहसील चौमूं जिला जयपुर,
16 कलावती पत्नि अमरचन्द, जाति मीणा, निवासी बलेसर, नवरंगपुरा, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
17 बजरंगलाल पुत्र मातादीन, जाति खाती, निवासी शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड,
18 मुकेशी यादव पत्नि राजेन्द्र यादव, जाति अहीर, निवासी खेलना, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड,
19 शैतान पुत्र श्योजीराम, जाति गुर्जर, निवासी कोठाला
20 सुमन देवी पत्नि मुकेश कुमार, ज़ाति जांगिड, निवासी भांकरी, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड,
21 प्रबन्धक, दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा पावटा
22 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
23 श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री देवेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार स्वामी
प्रतिवादी सं. 01 लगायत 21 की एकपक्षीय कार्यवही

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 1874/1.35, 1899/0.52 हैक्टेयर वाके मौजा शिवनगर, तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	कमली पत्नी रामकरण हि. 1/10 जाति जाट सा.देह खातेदार जितेन्द्र पुत्र रामकरण हि. 1/10 जाति जाट सा.देह खातेदार कलावती पत्नि अमरचन्द हि. 251/5200 जाति मीणा सा. बलेश्वर नवरंगपुरा तह. विराटनगर बजरंगलाल पुत्र मातादीन हि. 133/5200 जाति खाती सा.देह खातेदार बनवारी पुत्र चौथमल हि. 11/1300 जाति अहीर सा. भाभरू मुकेशी देवी W/O राजेन्द्र यादव हि. 1/40 जाति अहीर सा. खेलना खातेदार मंजू पुत्री जगदीश हि. 7/120 जाति जाट सा.देह खातेदार महीपाल पुत्र जगदीश हि. 7/120, विक्रम पुत्र जगदीश हि. 7/120 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार शैतान पुत्र श्योजीराम हि. 167/5200 जाति गुर्जर सुमन देवी पत्नि मुकेश कुमार हि. 7/325 जाति जांगिड सा. भांकरी सुवालाल पुत्र नाथूराम हि. 578/5200 जाति जाट हरकोरी पत्नी नाथूराम हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार हरि पुत्र नाथूराम हि. 159/1040 जाति जाट सा.देह खातेदार	1899 रकबा 0.52 हैक्ट0 भूमि।
2	अशोक पुत्र रामेश्वर हि. 2434/8667 जाति जाट सा. भोनावास खातेदार दौलत पुत्र रामेश्वर हि. 3117/8667 जाति जाट सा.देह खातेदार कमली पत्नी रामेश्वर हि. 3116/8667 जाति जाट सा.देह खाते.	1874/1 रकबा 0.8667 हैक्ट0 भूमि।
3	तेजपाल पुत्र सुवालाल हि. पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. आलीसार तह. चौमू खातेदार	1874/2/0.0683 हैक्ट0 भूमि।
4	बनवारी पुत्र चौथमल हि. 250/4150 जाति अहीर मंजू पुत्री जगदीश हि. 165/4150 जाति जाट महीपाल पुत्र जगदीश हि. 164/4150 जाति जाट विक्रम पुत्र जगदीश हि. 164/4150 जाति जाट कालू उर्फ पप्पू पुत्र जगदीश हि. 337/4150 जाति जाट पताशी देवी पत्नी हरी हि. 185/4150, सरोज पुत्री हरी हि. 185/4150, महेन्द्र चौधरी पुत्र हरी हि. 185/4150, राजेन्द्र जाट पुत्र हरी हि. 185/4150 समस्त जाति जाट खातेदार सुवालाल पुत्र नाथूराम हि. 580/4150, हरकोरी पत्नी नाथूराम हि. 1/5, कमली पत्नी रामकरण हि. 1/10, जितेन्द्र पुत्र रामकरण हि. 1/10, तीजा देवी पत्नी रूडाराम हि. 90/4150 समस्त जाति जाट खातेदार	1874/3/0.4150 हैक्ट0 भूमि।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	